समाहरणालय, किशनगंज

(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री सात निश्चय कार्यक्रम के तहत् '' आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम के संचालनार्थ जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र किशनगंज के रख– रखाव साफ सफाई के लिए इच्छुक व्यक्तियों / स्वयं सेवी संस्थानों / प्रतिष्ठित फर्मो से दिनांक–7/10/2020 अपराह्न 1:00 बजें तक सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। सीलबंद निविदा तकनीक बीड एवं वित्तीय बीड में अलग–अलग होना चाहिए। दानों बीड एक ही लिफाफे में होने पर उस निविदादाता का लिफाफा नहीं खोला जायेगा। सीलबंद निविदा दिनांक–7/10/2020 को अपराह्न 3:00 बजें जिला क्रय समिति किशगनंज के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खुलने के समय निविदादाता स्वंय अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित रह सकते है।

कार्य की विवरणी

1. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के सभी कमरों में झाड़ू– पोछा (फिनाईल युक्त) का सम्पूर्ण आन्तरीक एवं बाहय परिसर कार्य प्रतिदिन सुबह 9:00 बजें से पहले तक करना है।
2. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र परिसर एवं शौचालय / मूत्राशय की साफ–सफाई दिन में दो बार फिनाईल के साथ करना है। साथ ही सफाई कर्मियों को कार्यालय अवधि में समय–समय पर गंदगी दिखते ही नियमित रूप से झाड़ू / हार्पिक / डस्टर / सीढ़ी / वाइपर / स्वाब / आदि सफाई करना है।
3. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र भवन एवं परिसर के सड़क पर झाड़ू लगाना एवं कूड़ा हटाते रहना है। साथ ही झाड़ू –फूस, घास– पात इत्यादि नियमित रूप से सफाई करना है।
4. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र भवन एवं परिसर के मुख्य नाला की सफाई प्रत्येक दिन करना है।
5. सभी बास बेसिन तथा मूत्र बेसिन में नेपथालिन की बड़ी गोली लगातार रखा जाना है। शौचालय में मग, हैंडबास, तौलिया एवं साबुन रखना है। साफ–सफाई से संबंधित सभी प्रकार के उपकरण तथा सामग्रियाँ रखना है।
6. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र भवन परिसर को संक्रमण मुक्त रखना है।
7. साफ–सफाई के लिए कम से कम कुल 04 मजदूर / दैनिक सफाई कर्मी रहेंगे। सफाई कर्मी को यूनिफार्म में रहना है। इनमें से एक मजदूर बागवानी का कार्य करेगा। जिसमें पौधो की सिचाई / कमौनी / निकौनी आदि कार्य करना है।
8. प्रत्येक सप्ताह जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में प्रयुक्त कपड़ों का लाण्ड्री से धुलाई कराना है।

निविदा की शर्त्त

1. निविदादाता को निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न तथा सभी अनुमान्य करों का स्वच्छता प्रमाण पत्र (Clearence Certificate) संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को काली सूची में नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र जमा करना होगा।

3. निविदादाता को पूर्व में सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में साफ–सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण– पत्र की स्व– अभिप्रमाणित प्रमाण –पत्र जमा करना होगा।
4. निविदादाता को अग्रधन के रूप में जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पदनाम से 10000.00 (दस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
5. निविदादाता को निर्धारित कार्यो के लिये साफ–सफाई में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों एवं मजदुरी के पूर्ण विवरण के साथ समस्त कार्यो का दर अंकित करना होगा।
6. साफ–सफाई कर्मी निर्धारित संख्या में उपस्थित नहीं पाये जाने तथा युनिफार्म में नहीं पये जाने पर मासिक भुगतान की राशि में से 20 प्रतिशत दण्डस्वयप राशि की कटौती की जायेगी।
7. सफाई कार्य में लापरवाही / कोताही बरतने पर विपत्र की राशि से कटौती कर ली जायेगी।
8. निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रदद् करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
9. सफल निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इस आशय का एकरारनामा दाखिल करना होगा। कि किसी प्रकार की कमी पाए जाने की स्थिति में मासिक विपत्र से अनुपातिक राशि की कटौती कर ली जायेगी तथा बार–बार एकरारनामा के शर्तो का उल्लंघन करने पर एकरारनामा रदद कर दिया जायेगा।
10. किसी भी प्रकार का वाद का निपटारा सिविल कोर्ट किशनगंज के क्षेत्रान्तर्गत होगा।

विशेष जानकारी के लिए www.kishanganj.bih.nic.in पर देखा जा सकता है तथा किसी भी कार्य दिवस में जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज से सम्पर्क किया जा सकता है।

Adityakumar 12/9/2020

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।